

प्रेस विज्ञप्ति
थाना-सरायमीर

**पुलिस मुठभेड में अवैध असलहा तस्कर 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 05 अदद तमंचा, 02 अदद
पिस्टल, कारतूस सहित मोटरसाइकिल बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध मादक पदार्थ/अवैध असलहा तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ एव क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 16.09.2020 को सरायमीर पुलिस एव स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बस्ती नहर पुलिस के पास पुलिस मुठभेड़ में दो व्यक्ति को समय 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पुछने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः 1. सत्यम राय पुत्र गिरजा शंकर राय निवासी ग्राम गोमाडीह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. नितिश धरिंकर उर्फ साधू पुत्र प्रदीप धरिंकर निवासी ग्राम सरायपस्तू थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया। मौके से एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर की डिग्गी से 05 अदद तमंचा व 06 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्तगण की तलाशी से अभियुक्त सत्यम के पास से एक अदद पिस्टल, 02 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर तथा अभियुक्त नितिश धरिंकर के पास से 1 अदद पिस्टल एवं 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0सं0- 171/2020 धारा 307,419,420,467,468,471,411 भादवि 2. मु0अ0सं0- 172/2020 धारा 3/5/7/25/27 आर्म्स एक्ट 3. मु0अ0सं0- 173/2020 धारा 3/5/7/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि 1.अवनीश राय पुत्र अशोक राय सा0 सराय पल्टू थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ 2.छोटई उर्फ धर्मेन्द्र यादव पुत्र राम अधार निवासी तीयरी मनिरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ जो अभियुक्तगण को बिहार से असलहा लाकर बेचने के लिए देते हैं। अभियुक्तगण द्वारा आस-पास के इलाके व जनपद में पिस्टल को 25,000/- रु0 व तमंचे को 28,00/- रु0 से 3,000/- रु0 में बेचते हैं। इनके द्वारा अब तक 12 से 14 असलहो को अलग-अलग ब्यक्तियों को बेचा गया है। असलहो को बेचने के पश्चात बेचे गये रूपये में से कुछ हिस्सा इनको मिलता है। जिससे इन लोगो का खर्चा चलता है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सत्यम राय पुत्र गिरजा शंकर राय निवासी ग्राम गोमाडिह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. नितिश धरिंकर उर्फ साधू पुत्र प्रदीप धरिंकर निवासी ग्राम सरायपस्तू थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0- 171/2020 धारा 307,419,420,467,468,471,411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 172/2020 धारा 3/5/7/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बनाम सत्यम
3. मु0अ0सं0- 173/2020 धारा 3/5/7/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बनाम नितिश धरिंकर।

बरामदगी

1. 5 अदद तमंचा, 06 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 2 अदद पिस्टल, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस 32 बोर।
3. एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक थाना सरायमीर श्री अनिल सिंह मय हमराह जनपद आजमगढ़।
2. प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम श्री दिनेश कुमार सिंह मय हमराह जनपद आजमगढ़।

नोट- उपरोक्त गिरफ्तारी एव बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रूपये नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।